कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2038 /11–सी– FP/UP/IND/25304/2017, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 09 ,2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– Renewal of 61.2348 ha. (Out of total 126.27 ha. Forest land granted under FCA-1980) in Renukoot Forest Division, Sonebhadra for the construction of Ash Dosposal Yard in favour of Renusagar Power Company Limited के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–फाईल नं0–8–05/1993–एफ0सी0 (पी0टी0), दिनांक 13.02.2017 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक–भा0स0–30/14–2–2016–911/92, दिनांक 20.02.2017 तथा भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–फाईल नं0–8–05/1993–एफ0सी0 (पी0टी0), दिनांक 24.07.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक–2928/मीरजापुर/33, दिनांक 28.12.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाने वाली आवश्यक धनराशि आनलाईन ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से जमा किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति मय संलग्नक सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या दो प्रतियों में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि अनुपालन आख्या की एक प्रति भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(आर0आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–2038 /11–सी– FP/UP/IND/25304/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखत अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट–सोनभद्र।
3– महाप्रबन्धक, कारपोरेट अफेयर्स, मै0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, 35, गोखले मार्ग, लखनऊ।

(आर0आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1652

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांक- 2928 /मीरजापुर/ 33 दिनांक, मीरजापुर, दिसम्बर 28 , ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ ।

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग, जनपद–सोनभद्र में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु (वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लीज पर प्रदत्त कुल 126.27 हे0 भूमि में से) 61.2348 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भः– (1)– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या–एफ.नं. 8–05 / 1993–एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक– 13.02.2017 ।

(2)– आपका पत्र संख्या–2690 / 11–सी–एफ.पी. / यू.पी. / आई.एन.डी. / 25304 / 2017, दिनांक 20.06.2017 ।

(3)– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या–एफ.नं. 8–05 / 1993–एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक– 24.07.2017 ।

(4)– आपका पत्र संख्या– 236 / 11–सी–एफ.पी. / यू.पी. / आई.एन.डी. / 25304 / 2017 लखनऊ दिनांक– 28.07.2017 ।

(5)– आपका पत्र संख्या–625 / 11–सी–एफ.पी. / यू.पी. / आई.एन.डी. / 25304 / 2017, दिनांक–31.08.2017 ।

(6)– पत्रांक– 07टी0सी0 / 11–सी, बैठक, दिनांक 01.11.2017 ।

A.S.O.
C.C.F.
A.O.
1-1-18

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार के संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक 24.07.2017 के कम में आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 31.08.2017 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्रांक–2056 / रेनुकूट / 15–31 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि मे0 रेनुसागर पावर डिवीजन (हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0) रेनुसागर, सोनभद्र को "सैद्धान्तिक स्वीकृति" आदेश की शर्त संख्या–3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3,83,32,985.00 जमा कराने एवं शर्त संख्या–5 व 6 (एवं तत्क्रम में भारत सरकार के संदर्भित आदेश दिनांक 24.07.2017 के बिन्दु संख्यॉ–2(iii) द्वारा निर्गत संशोधन) के अनुपालन में वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के प्राविधानो का उल्लंघन करने पर एन0पी0वी0 की धनराशि के 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2009–10 से 2016–17 तक 8 वर्षो की अवधि के लिए रू0 6,13,32,776.00 (रू0 छः करोड़ तेरह लाख बत्तीस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) की बैंक प्रतिभूति (Bank Guarantee) एवं प्रत्यावर्तित वन भूमि के समतुल्य भूमि पर Penal CA हेतु रू0 93,01,811.00 (रू0 तिरान्नबे लाख एक हजार आठ सौ इग्यारह मात्र) की बैंक प्रतिभूति जमा किया गया।

उक्त अनुपालन के पश्चात् प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा भारत सरकार के सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप Tabular Form में निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

Condition No.	Conditions	Status of Compliance
1	2	3
1.	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि हस्तान्तरित वन भूमि की Legal Status वन भूमि बनी हुयी है ।
2.	The non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation shall be notified by the State Government as RF under section 4 or P.F under section 20 of	(क) इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8–5 / 93–एफ.सी. दिनांक 22.02.1999 तथा

	the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section of the local Forest Act, if not already done.	इसके कम में उ0प्र0 सरकार का शासनादेश सं0 2464/14-2-99-911/ 1992 दिनांक 21.06.1999 के अनुपालन में प्रयोक्ता संस्था द्वारा ग्राम-पुरना(वडहर) में 38.2050 हे0 तथा ग्राम-पेढ(बड़हर) में 19.3540 हे0 कुल **57.5590** हे0 तहसील-धोरावल, जनपद-सोनभद्र (वर्तमान में कैमूर वन्यजीव प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत) में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र के नाम पर दिनांक 06.10.1995 को तथा अवशेष (61.2348 हे0-57.5590 हे0)= 3.6758 हे0 गैर वन भूमि ग्राम पिन्डारी एवं ग्राम अन्जानी, तहसील-दुद्धी. जनपद-सोनभद्र मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग के नाम दिनांक 30.05.1998 को रजिस्ट्री के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी है जिससे संबंधित रजिस्ट्री एवं खतौनी की छाया प्रतियां संलग्न है । (ख) रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित 3.6758 हे0 गैर वन भूमि तथा रेड मड भण्डारण के निर्माण हेतु लीज पर हस्तान्तरित 9.6818 हे0 वन भूमि के समतुल्य 9.6818 हे0 गैर वन भूमि कुल 13.3548 हे0 के स्थान पर **13.4690** हे0 गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी करायी जा चुकी है । विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न है। (ग) 57.5590 हे0 गैर वन भूमि प्रस्तावक द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी , जिसकी धारा-4 आदि की कार्यवाही कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा ही की जानी है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक- 2562/मी0/33 दिनांक 13.12.2017 द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को द्वारा निर्देशित किया गया (छाया प्रति संलग्न)। उक्त के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या- 1758/33 दिनांक 21.12.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि उल्लिखित गैर वनभूमि कमशः ग्राम- पुरना में 38.205 हे0 व ग्राम-पेढ़ में 19.354 हे0, कुल 57.559 हे0 राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कर दिया गया है। उक्त की धारा-4 में विज्ञापन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-2839/मी0/33दिनांक 22.12.2017 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है जिसकी प्रति अन्य के साथ उनके नियंत्रक अधिकारी मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है (छाया प्रति संलग्न)।
3.	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per orders of Hon'ble Supreme Court of India dated 29.03.2008, 24.04.2008& 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009, The requisite fund	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-625/ 11-सी-एफ0पी0/ यू0पी0/आई0एन0डी0/ 25304/ 2017 लखनऊ दिनांक 31.08.2017 के अनुपालन में प्रयोक्ता संस्था द्वारा 61.2348 हे0 वन भूमि

	shall be transferred through on line portal into Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned.	हेतु "इको श्रेणी तृतीय" के अन्तर्गत "खुले वन" हेतु निर्धारित एन0पी0वी0 रू0 6,26,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से रू0 3,83,32,985.00 (रू0 तीन करोड़ तिरासी लाख बत्तीस हजार नौ सौ पिचासी मात्र) का भुगतान ई–चालान के माध्यम से खाता संख्या 15090121253042017258 में दिनांक 11.09.2017 को आई0डी0बी0आई0बैंक, रेणुकूट द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है। ई–चालान की मूल प्रति संलग्न है ।
4.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the user Agency shall furnish an undertaking to pay additional amount of Net Present Value, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में भविष्य में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता संस्था द्वारा भुगतान करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है। बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है ।
5.	The User Agency shall pay NPV at the rate of 20 percent for each year since the violation of Forest (Conservation) Act, 1980 has commenced.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक 25.04.2017 में लिये गये निर्णय के कम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–एफ0नं0–8–05/1993–एफ0सी0 (पी0टी0) दिनांक 24.07.2017 तथा सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश दिनांक 13.02.2017 के शर्त संख्या 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता संस्था द्वारा रू0 6,13,32,776/– (रू0 छ: करोड़ तेरह लाख बत्तीस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) की आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, रेणुकूट के माध्यम आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, कोलकाता द्वारा निर्गत बैंक प्रतिभूति (Bank Guarantee) संख्या 0544BGR0029718 दिनांक 11.08.2017, जिसकी वैधता दिनांक 30.11.2017 तक थी उसे ICICI बैंक कोलकत्ता द्वारा दिनांक–26.12.2017 को संशोधित करते हुए वैधता तिथि दिनांक–30.11.2018 तक कर दी गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र के पक्ष में देय है । बैंक प्रतिभूति की मूलप्रति तथा संशोधित प्रति की मूल प्रति प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी है। बैंक प्रतिभूति/संशोधित प्रति की छाया प्रतियॉ संलग्न है।
6.	User Agency shall raise penal CA equivalent to the land utilized in violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.	इस शर्त के अनुालन में अवगत कराना है कि एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक 25.04.2017 में लिये गये निर्णय के कम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–एफ0नं0–8–05/1993–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक 24.07.2017 तथा सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश दिनांक 13.02.2017 के शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता संस्था द्वारा रू0 93,01,811/–(रू0 तिरान्नबे लाख एक हजार आठ सौ इग्यारह मात्र) की ICICI बैंक, रेणुकूट के माध्यम ICICI बैंक, कोलकाता द्वारा निर्गत बैंक प्रतिभूति (Bank Guarantee) संख्या

		0544BGR0029718 दिनांक 11.08.2017, जिसकी वैधता दिनांक 30.11.2017 तक थी उसे ICICI बैंक कोलकाता द्वारा दिनांक– 26.12.2017 को संशोधित करते हुए वैधता तिथि दिनांक– 30.11.2018 तक कर दी गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र के पक्ष में देय है । बैंक प्रतिभूति की मूलप्रति तथा संशोधित प्रति की मूल प्रति प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी है। बैंक प्रतिभूति/संशोधित प्रति की छाया प्रतियाँ संलग्न है।
7.	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there under.	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रयोक्ता संस्था द्वारा प्रश्नगत वनभूमि पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि उत्सर्जित ऐश का भण्डारण किया जा रहा है जिस पर एम.एम.डी.आर एक्ट, 1957 लागू नहीं होता है।
8.	Any fund received from the user agency under the project and deposited in the State Forest Department account, except the funds realized for re generation/demarcation of safety zone, shall be transferred through on line portal into Ad-hoc CAMPA account of the State concerned.	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रयोक्ता संस्था द्वारा वांछित धनराशि राज्य सरकार के Ad-hoc CAMPA account में जमा कर दी गयी है।
9.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required.	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि परियोजना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक जे 13012/148/ 2008–IA.II(T) दिनांक 21.01.2013 द्वारा Environment Clearance प्रदान की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
10.	No labour Camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है प्रश्नगत वन क्षेत्र में कोई भी श्रमिक कैम्प नहीं लगाया गया है और न ही भविष्य में लगाया जायेगा।
11.	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuel to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत वन क्षेत्र में पूर्व में कार्य पर लगे श्रमिकों व स्टाफ को नियमानुसार ईंधन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा भविष्य में भी उपलब्ध कराई जायेगी ।
12.	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS-co-ordinates	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत वनक्षेत्र का मौके पर सीमांकन कराते हुये पिलर स्थापित किया गया है तथा पिलर संख्या, पिलर से पिलर की दूरी तथा उसका जी0पी0एस0 लोकेशन भी अंकित किया गया है, जिसका विवरण क्षेत्रीय वनाधिकारी, अनपरा से सत्यापित कराते हुये, इस पत्र के साथ संलग्न है ।
13.	The layout plan of the mining plan/proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत वन भूमि पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि उत्सर्जित ऐश का भण्डारण किया जा रहा है। इस कारण माइनिंग प्लान भारत सरकार से अप्रूव्ड कराने की आवश्यकता नहीं है।

14.	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रयोक्ता संस्था द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग उत्सर्जित ऐश के भण्डारण हेतु किया जा रहा है और भविष्य में वन भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without the prior approval of the Central Government.	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत वन क्षेत्र को किसी अन्य एजेन्सी, डिपार्टमेन्ट या व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा ।
16.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रयोक्ता संस्था द्वारा प्रश्नगत वन क्षेत्र से सटे क्षेत्र में उपलब्ध फ्लोरा एवं फौना को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गयी है ।
17.	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत वनक्षेत्र में तत्समय उपलब्ध वृक्षों का निस्तारण उ0प्र0 वन निगम के माध्यम से वर्ष 1999 में कराया जा चुका है। वर्तमान में कोई वृक्ष उपलब्ध नहीं है।
18.	The user agency will abide by the applicable recommendations of the State Government.	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत वन भूमि के संबंध में भारत सरकार/ उ0प्र0 सरकार द्वारा जो भी संस्तुतियां/शर्ते लगाई जायेगी, उसके अनुपालन हेतु प्रयोक्ता संस्था बचनबद्ध है ।
19.	The State Government shall complete settlement of rights in terms of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC(Pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013 in support thereof.	इस शर्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति पूर्व में प्रयोक्ता संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है, छायाप्रति पुनः संलग्न है ।
20.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year.	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता संस्था द्वारा द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को प्रत्येक वर्ष मार्च माह में अनुपालन आख्या प्रेषित की जायेगी ।
21.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता संस्था द्वारा द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के स्तर से जो भी शर्ते लगायी जायेगी उसका अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता संस्था द्वारा वचनबद्ध है ।
22.	The User Agency shall comply all the provisions of all Acts, Rules, Regulations, Guidelines and Hon'ble Court Orders pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता संस्था द्वारा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत वनभूमि के संबंध में नियमों, कानूनों, दिशा–निर्देशों तथा माननीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर जो भी दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उसका अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध है।

	CA Amount as per proposal	Nil
	CA Amount deposited	Nil
	Difference in amount	Nil
	Reason for difference	Nil
	NPV Amount as per proposal	रू0 3,83,32,985.00
	NPV Amount deposited	ई–चालान के माध्यम से खाता संख्या 15090121253042017258 में दिनांक 11.09.2017 को आई0डी0बी0आई0बैंक, रेणुकूट द्वारा ट्रांसफर किया गया।
	Difference in amount	Nil
	Reason for difference	Nil
	Any Other amount deposited (Complete details be provided)	(I) Rs. 6,13,32,776/- वन (संरक्षण) अधिनियम– 1980 के प्राविधानों का उल्लंधन करने के परिणामस्वरूप निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि पर 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निर्धारित धनराशि। उक्त शर्त संख्या–5 के अनुसार उक्त धनराशि की बैंक प्रतिभूति (Bank Guarantee) जमा की गयी है। (II) Rs. 93,01,811/- वन (संरक्षण) अधिनियम– 1980 के प्राविधानों का उल्लंधन करने के परिणामस्वरूप Penal CA हेतु धनराशि। उक्त शर्त संख्या–6 के अनुसार उक्त धनराशि की बैंक प्रतिभूति (Bank Guarantee) जमा की गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग , रेनुकूट द्वारा प्रेषित प्रश्नगत मामले की बिन्दुवार आख्या एतद् सह संलग्नकर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 2128 अ/समदिनांकित ।

1. प्रतिलिपि हेड आफ फारेस्ट फोर्स एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर को इस कार्यालय के पत्रांक–2839/मीरजापुर/33 दिनांक 22.12.2017 के कम में इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के कम में प्रश्नगत क्षेत्र 57.5590 हे0 की धारा–4 की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि 57.5590 हे0 की धारा–4 की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।
4. प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी , रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

D:\J d DRIVER\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc